पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1531 /सा.प्रशा./सू.अ.प्र./20 रायपुर, दिनांक : 13/07/2020

— : : अधिसूचना : : —

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्रायः देखने में आया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकरणों का निपटारा नियमाधीन समय–सीमा में नहीं किया जा रहा है। साथ ही अपूर्ण एवं त्रुटीपूर्ण जानकारी प्रदान किए जाने पर विश्वविद्यालय को अनावश्यक वित्तीय हानि एवं विवादों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः विश्वविद्यालय से संबंद्ध सभी विभाग/अध्ययनशालाओं के लोक सूचना अधिकारियों को सूचित करना है कि :—

1) आवेदक को नियमाधीन समय–सीमा 30 दिन के भीतर वांछित सूचना/जानकारी प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि विलंब से सूचना निःशुल्क प्रदान किए जाने पर विश्वविद्यालय को अवांछित वित्तीय हानि न हो।

एतद् विश्वविद्यालय सूचना प्रकोष्ठ से प्राप्त पंजीकृत आवेदन नस्ती प्राप्त होते ही पंजीयन तिथि से 25 दिन की समयावधि के भीतर ही आवेदक द्वारा वांछित जानकारी की प्रमाणित प्रति (दो सेट) में विश्वविद्यालय सूचना प्रकोष्ठ को उपलब्ध करावें ताकि आवेदक से निर्धारित वांछित शुल्क वसूला जाकर, जानकारी आवेदक को समय–सीमा 30 दिवस के भीतर प्रदान की जा सके। यदि जानकारी संबंधित विभाग द्वारा सीधे ही आवेदक को भेजी जा रही है तो जानकारी हेतू आवेदक से लिये गये शुल्क की रसीद तथा प्रेषित जानकारी की एक प्रति प्रकोष्ठ में जमा करा दिया जाए।

2) आवेदक को भेजी जाने वाली जानकारी, संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा, प्रमाणित कर ही प्रेषित की जावें ताकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो।

3) आवेदन में वांछित जानकारी –
(a) विभाग से संबंध नहीं रखती है– आवेदन नस्ती को तुरंत विश्वविद्यालय सूचना प्रकोष्ठ वापस कर दिया जावें अथवा वह विभाग जिससे वांछित जानकारी संबंध रखती है, उस विभाग को नस्ती का अग्रेषण कर दिया जाए।
(b) आंशिक रूप से संबंध रखती है– आवेदन में वांछित जानकारी के वह बिन्दु जो आपके विभाग से संबंधित है उस बिन्दु की जानकारी उपलब्ध कराकर, यथाशीघ्र आवेदन नस्ती को शेष जानकारी हेतू संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जावें या आगामी कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय सूचना प्रकोष्ठ को वापस कर दिया जाए।

उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया 30 दिवस के भीतर संपन्न करनी है ताकि आवेदक से वांछित जानकारी हेतु नियमाधीन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर, आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

4) आवेदन प्रकरण निराकरण में आवेदक से किये गये पत्राचार इत्यादि की एक प्रति विश्वविद्यालय सूचना अधिकार प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराए एवं प्रकरण निराकरण में संपूर्ण कार्यवाही को लिखित में किये जाने की प्राथमिकता दें।

P.T.O.

5) सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 5(2) (4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक विभाग प्रमुख (लो.सू.अ.) के कार्यों में सहायता हेतु, प्राप्त आवेदन में वांछित जानकारी से संबंधित विषय के लिये अधिकृत कार्य सहायक (नस्ती धारण कर्ता) उस आवेदन पर, सूचना सहायक/सहायक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, तद्अनुसार वांछित जानकारी को नियमाधीन समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराने, विभागीय लोक सूचना अधिकारी, उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

6) आवेदक द्वारा प्रथम अपील आवेदन/ द्वितीय अपील आवेदन किये जाने पर, निर्धारित सुनवाई तिथि पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी, स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। आकस्मिक परिस्थितियों में ही अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति, अधिकार पत्र जारी किये जाने पर मान्य होगी, ताकि लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में लिये गये निर्णय पर भविष्य में विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

7) प्रथम अपील आदेश/द्वितीय अपील आदेश के पालनार्थ, आदेश में निहित धाराओं एवं समयावधि को दृष्टिगत रखते हुये, त्वरित पालन किया जाकर, संबंधितों को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8) आवेदन प्रकरणों पर जानकारी उपलब्ध कराया जाना, संबंधित लोक सूचना अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर होता है, इस संबंध में किसी तरह का परामर्श/अनुमोदन लिया जाना वांछनीय नहीं है।

9) आवेदन प्रकरण के निपटारे में किसी तरह के संशय अथवा कठिनाई आने की स्थिति में विश्वविद्यालय सूचना प्रकोष्ठ से संपर्क करें।

विश्वविद्यालय की गरिमा, निष्पक्ष एवं स्वच्छ छवि बनाये रखने हेतु सूचना का अधिकार के अंतर्गत किये गये आवेदनों को वांछित प्राथमिकता दे।

आदेशानुसार

13.7.20

कुलसचिव

पृ.क्र. 1532/ सा.प्रशा./ सू.अ.प्र./2020 रायपुर, दिनांक : 13/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/अध्ययनशाला के लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. उपकुलसचिव (सा.प्रशासन) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

P.T.O.